

न्यायालय सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक  
मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

राज्यं प्रति इमरान

मु0अ0 सं0-514ए/2011

धारा- 323,325,504 भा0दं0सं0

थाना-ठाकुरद्वारा

**04.05.2019**

अभियुक्त इमरान  
मु0अ0सं0-514ए/2011 अन्तर्गत धारा-323,325,504  
भा0दं0सं0 थाना-ठाकुरद्वारा के मामले में अभियुक्त  
उपरोक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया  
गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन  
किया।

अभियुक्त स्वेच्छया आत्मसमर्पण कर  
न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन आख्या अनुसार  
अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय है। अतः  
मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत जमानत  
प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अभियुक्त इमरान द्वारा बीस-बीस हजार रू0  
के दो-दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत  
बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया  
जाए।

सिविल जज (जू0डि0)न्यायिक मजिस्ट्रेट  
ठाकुरद्वारा